राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांकः प.5(1)राजस्व-6/97/18 जयपुर, दिनांक : 8.1.20

समस्त संभागीय आयुक्त,
राजस्थान.

समस्त जिला कलैक्टर,
राजस्थान.

विषयः- काश्तकारों के कृषि जोत विभाजन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में पिता की पैतृक सम्पत्ति में पुत्र/पुत्री दोनों को जन्म से ही अधिकार होता है। इसलिये पुत्र/पुत्री दोनों ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करा सकते हैं। पैतृक कृषि भूमि में पिता के साथ-साथ पुत्र/पुत्री भी सह-कृषक होते हैं चाहे राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन नहीं भी हो, इसलिये पुत्र/पुत्री अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही सह-कृषक होने के नाते राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते हैं।

यदि पैतृक भूमि के जोत विभाजन के सम्बन्ध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नहीं हो तो ऐसी अवस्था में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद पेश कर जोत का विभाजन कराया जा सकता है।

8.1
(के.जी. अग्रवाल)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव मा. मुख्य मंत्री महोदया.
2. विशिष्ठ सहायक मा. राजस्व मंत्री महोदय.
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय.
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/शासन सचिव, राजस्व.
5. रक्षित पत्रावली।

8.1
उप शासन सचिव